तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.07.24	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेंटस द्वारा अपील अपीलांट के तथ्यों को स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 की पैतृक कृषि भूमि वाके रूणिया बड़ा बास में खसरा नंबर 1195/416 तादादी 1.1000 हैक्टर, खसरा नंबर 1444/377 तादादी 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 1494/358 तादादी 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 1582/1054 तादादी 0.2900 हैक्टर, खसरा नंबर 1583/769 तादादी 0.5300 हैक्टर तथा खसरा नंबर 283 तादादी 7.3500 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल तादादी 9.5300 हैक्टर स्थित है, अपीलांटस के पिता की मृत्यु दिनांक 11.08.2021 को हो गयी, जिसके उपरान्त नामान्तरकरण बहक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के हक में विधि विरूद्ध व खिलाफ नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1631 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट को जायज कानूनी वारिस होने के आधार पर 1/5 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट अंदर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 1631 दिनांक 08.06.2022 निरस्त किया जाता है तथा वाके रूणिया बड़ा बास में खसरा नंबर	

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

1195/416 तादादी 1.1000 हैक्टर, खसरा नंबर 1444/377 तादादी 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 1494/358 तादादी 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 1582/1054 तादादी 0.2900 हैक्टर, खसरा नंबर 1583/769 तादादी 0.5300 हैक्टर तथा खसरा नंबर 283 तादादी 7.3500 हैक्टर कुल खसरे 6 कुल तादादी 9.5300 हैक्टर में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर